

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 432 / 2009
संस्थान दिनांक 23.11.2009

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला—बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. सुरेश पिता गरमक वर्मा, आयु 55 वर्ष,
2. सुगनाबाई पति सुरेश वर्मा, आयु 50 वर्ष,
3. लता पिता सुरेश वर्मा, आयु 23 वर्ष,
सभी निवासीगण— ग्राम लखनगॉव,
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 18.04.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 200 / 2009 अंतर्गत 294, 323, 506, 341 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 23.11.2009 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 18.11.2009 को समय प्रातः लगभग 11:00 बजे, फरियादी रमेश के मकान के सामने लोक स्थान पर या उसके समीप खड़े होकर फरियादी रमेश व दिनेश को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देकर क्षोभ कारित करने, फरियादी रमेश के आंगन में अपराध करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित करने, फरियादी रमेश व दिनेश का रास्ता रोककर उन्हें सदोष अवरोध कारित करने, आपने और सह अभियुक्तगण के सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने व सहअभियुक्तगण ने फरियादी रमेश व दिनेश को झापड़-मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित करने तथा फरियादी रमेश व दिनेश को जान से खत्म करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 294, 541, 341, 323, 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादीगण और अभियुक्तगण आपस में रिश्तेदार हैं तथा अभियुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर भी फरियादीगण के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 456/09 इसी न्यायालय में लंबित है। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी रमेश लखनगौव में रहकर कृषि करता है तथा सुरेश उसका छोटा भाई है। फरियादी सहित चार भाई होकर उनके पिताजी ने कृषि के हिस्से-बंटवारे कर दिये जिन पर अपनी-अपनी कृषि करते हैं। सुरेश आबकारी विभाग में नौकरी करता है। घटना दिनांक 18.11.2009 को प्रातः फरियादी रमेश उसके घर पर था, प्रातः लगभग 7 बजे सुरेश उसके घर के आंगन में आकर कहने लगा कि उसने उसकी फसल का नुकसान कर दिया है और फरियादी और उसके छोटे भाई दिनेश को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देने लगा जो सुनने में बुरी लग रही थी। इतने में सुरेश की पत्नी सुगनाबाई व उसकी पुत्री लता भी आ गई व माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देने लगे तथा दिनेश आया तो फरियादी व दिनेश को रोककर पकड़ लिया व उनके साथ में झापड़-मुक्कों से तीनों अभियुक्तों ने मारपीट की व जान से खत्म करने की धमकी दी। पुलिस ने फरियादी रमेश द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 200/2009 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 341, 451 सहपति धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शनी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 294, 451, 341, 323, 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध 294, 451, 341, 323, 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं —

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 18.11.2009 को समय प्रातः लगभग 11:00 बजे, फरियादी रमेश के मकान के सामने लोक स्थान पर या उसके समीप खड़े होकर फरियादी रमेश व दिनेश को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देकर क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रमेश के आंगन में अपराध करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रमेश व दिनेश का रास्ता रोककर उन्हें सदोष अवरोध कारित किया ?

4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने और सह अभियुक्तगण के सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने व सह अभियुक्तगण ने फरियादी रमेश व दिनेश को झापड़-मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

5. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रमेश व दिनेश को जान से खत्म करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में दिनेश (अ.सा.1), रमेश (अ.सा.2), नानुराम (अ.सा.3), साहेबराव (अ.सा.4) एवं उपनिरीक्षक के.एल. वरकड़े (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पॉचों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त पॉचों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी रमेश अ.सा.2 का कथन है कि घटना आज से लगभग 10-11 माह पूर्व की हैं। सुरेश भोपाल से लगभग शाम के समय लखनगॉव आया था तथा उसकी फसल का नुकसान करने की बात को लेकर उसे, उसके पुत्र अनिल एवं सुनिल की पत्नी को गॉलिया दी थी। सुरेश ने उनके साथ लकड़ी से मारपीट की। सुरेश अपनी पत्नी से कह रहा था कि चाकु लाकर दे। सुरेश की पत्नी सुगनाबाई एवं पुत्री लता ने भी गॉलिया दी थीं। उसके बाद वह अपने परिवार के साथ रिपोर्ट करने गया था जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त सुरेश उसका भाई है। उसे घटना की दिनांक एवं दिन नहीं मालूम। उसके पिताजी के नाम पर खेती है, जो लखनगॉव में है। दिनांक 30.04.2010 को उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और उक्त घटना उसके पिताजी की मृत्यु के बाद हुई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक को सुरेश उसे यह कहने आया था कि पिताजी की जमीन को अपने नाम पर करवा लेते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि इस पर उसने अभियुक्त को गॉलिया दी थी और

अभियुक्तों के साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों के घर जाकर सुगनाबाई को मारा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि सुगनाबाई ने रिपोर्ट की, थी उसके बाद वह आया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों की रिपोर्ट से बचने के लिए थाने पर मिथ्या रिपोर्ट की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन थाने पर की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके मकान के आसपास नानुराम, जानकीबाई एवं दिनेश रहते हैं, उन्होंने घटना देखी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों से घटना के बाद से बातचीत बंद है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट की है या अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी।

8. दिनेश अ.सा. 1 जो कि घटना का चश्मदीद साक्षी बनाया गया है, ने अभियुक्तों और फरियादीगण को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के पक्ष में नहीं किये हैं। साक्षी का भी कथन है कि घटना वाले दिन कोई विवाद नहीं हुआ था। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना वाले दिन अभियुक्त सुरेश फरियादी रमेश के घर गया था और कहा था कि उसकी फसलों का नुकसान किसने किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त आंगन में आकर गालिया देने लगा था तथा उसके तथा रमेश के साथ थप्पड़ से मारपीट की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि सुगनाबाई एवं लता भी आ गई थीं और जब वे बाहर जाने लगे तब उन्होंने अश्लील गालिया दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी और घटना की रिपोर्ट रमेश ने की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तगण उनके ही परिवार के हैं एवं सगे भाई हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के पूर्व से ही उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और उसी विवाद की रिपोर्ट से उनका प्रकरण चल रहा है। जब से जमीन मिली तब से बोलचाल बंद है। सुरेश 10-15 वर्ष से अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ भोपाल में रहता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसका उसके भाई के साथ कोई विवाद नहीं हुआ था और गाली-गलोच एवं मारपीट भी नहीं हुई थी। वह भी अपने भाई के साथ रिपोर्ट लिखाने गया था उन्होंने थाने पर लिखित में रिपोर्ट की थी। बंटवारे की कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई और जमीन की भी कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी।

9. नानुराम अ.सा. 3, साहेबराम अ.सा. 4 को अभियोजन की ओर से चश्मदीद साक्षी होना बताया है, लेकिन उक्त साक्षियों ने अभियुक्तों और फरियादीगण को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को कोई कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साहेबराम अ.सा. 4 ने स्वीकार किया कि फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से ही खेती के विवाद को लेकर रंजिश है और उनके समक्ष कोई विवाद नहीं हुआ था।

10. उपनिरीक्षक के.एल.वरकड़े अ.सा. 5 ने दिनांक 18.11.2009 को थाना अंजड़ में फरियादी रमेश द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्शपी 1 का अपराध दर्ज कर और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने घटनास्थल लखनगॉंव पहुँचकर साहेबराम के बताये अनुसार प्रदर्शपी 4 का घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने भी फरियादीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी एवं साक्षियों के कथन उसने मन से लेखबद्ध किये थे।

11. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी रमेश अ.सा. 2 ने स्वयं प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तों द्वारा उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने के बाद उसने दूसरे दिन थाने पर रिपोर्ट की थी तथा अभियुक्तों एवं उनके मध्य जमीन के विभाजन को लेकर पूर्व से विवाद है। घटना के दूसरे आहत साक्षी दिनेश अ.सा. 1 ने अभियुक्तों द्वारा उसके एवं रमेश के साथ मारपीट एवं गाली-गलोच नहीं करने के संबंध में स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण एवं उनके मध्य जमीन के विभाजन को लेकर पूर्व से ही विवाद चल रहा है और बातचीत बंद है। शेष चश्मदीद बताये गये साक्षी नानुराम अ.सा.3 एवं साहेबराम अ.सा. 4 ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। इसी घटना के संबंध में प्रकरण की अभियुक्त सुगनाबाई ने इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के पूर्व ही रमेश अ.सा. 2 के विरुद्ध थाने पर पहले से ही रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके संबंध में भी अभियुक्तों का विचारण चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह अभिवाक संभावित प्रतीत होता है कि अभियुक्तों ने सुगनाबाई द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट से बचने के लिए तथा उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के बाद अपने बचाव में अभियुक्तों के विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज कराई है।

12. फरियादी स्वयं और साक्षी रमेश अ.सा. 2 ने अभियुक्तों द्वारा उनको लोक स्थान पर अश्लील गॉलिया देकर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। दिनेश अ.सा. 1 ने यह स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन अभियुक्त सुरेश, साक्षी रमेश के घर गया था और पूछ रहा था कि उसकी फसलों का नुकसान किसने किया था, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने अपराध कारित करने के आशय से रमेश के निवास स्थान में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया था। किसी भी अभियोजन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तों ने दिनेश अ.सा. 1 तथा रमेश अ.सा. 2 का रास्ता रोककर उन्हें सदोष अवरोध कारित कर उन्हें थप्पड़-मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छाया उपहति कारित की। किसी भी अभियोजन साक्षी का यह

कथन नहीं है कि रमेश एवं दिनेश को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया था, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध या अन्य कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

13. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित पाँचों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 294, 541, 341, 323, 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

